बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री ग्रहनयह नारायण सिंह—महाशय, मैं अष्टम (सितम्बर, १९५५) सत्र के रुके हुये शेष ६१३ अतारांकित प्रश्नों में से ३४४ प्रश्न के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष २६९ अतारांकित प्रश्न के उत्तर भी सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

*ये हैं गत् अष्टम (सितम्बर-दिसम्बर, १९५५) सत्र में पूछे गये ३१५ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। शेष प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्य।	प्रश्न संख्या।
१	श्री राजाराम आर्य	१९६।
२	श्री त्रिवेणी कुमार	१९७, ४०१।
३	श्री कमला राय	१९८, २०१।
४	श्री जगन्नाथ महतो	१९९, ३२९, ३३८, ३९२, ४७७।
५	श्री कर्पूरी ठाकुर	२००, २१८, २२२, २४५, २४६, २५४, २५७, २५८, ३०६, ३६३, ३९७, ४४९, ४५३, ४६२, ४६५, ४६६, ४७३, ४७६, ५०१।
६	श्री विलियम हेम्ब्रोम	२०२।
७	श्री योगेश्वर घोष	२०३, २०४, २५२।
८	श्री नन्दकिशोर नारायण	२०५, २११, २१७, २१९।
९	श्री पुनीत राय	२०६, २२८, २३४, २६४।
१०	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह	२०७, २२९, २३८, २८३, ३०५, ३१८, ३८७, ४३१।

* पृष्ठ संख्या ३ से ३६६ पर जो अतारांकित प्रश्नोत्तर हैं वे तिथि २३ मार्च १९५७ को सभा मेज पर रखे जाने वाले थे मगर वे २६ मार्च १९५७ को सभा मेज पर प्रस्तुत किये गये। अतः उक्त पृष्ठों पर जो तिथि अंकित है उसके बदले में कृपया तिथि २६ मार्च १९५७ पढ़ा जाय।

(२) आम के २३ पेड़ों में जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, इस साल कुछ फल लगे।

(३) जिस भूमि पर ये पेड़ हैं वह भूमि अब बन्दोबस्तदार रैयती जोत (होल्डिंग) में पड़ती है। इसलिये अंचलाधिकारी द्वारा पेड़ों के बन्दोबस्त किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) (क) गांव में २८५.९० एकड़ भूमि है जो "गैर-मजरुआ मालिक" के रूप में दर्ज है। इसमें से २३९.३० एकड़ भूमि में जंगल और पहाड़ हैं, ९.२३ एकड़ काबिल-गैर-आबाद (जोतने लायक नहीं) और चारागाह है, ०.४१ एकड़ पर मकान हैं तथा शेष ३६:९६ एकड़ का, जिस पर उपर्युक्त पेड़ हैं, बन्दोवस्त भूतपूर्व जमींदारों ने रैयतों के साथ किया था।

(ख) भूतपूर्व जमीन्दारों ने रैयतों के साथ जमीन के जिस भाग का बन्दोबस्त किया था उस पर पिछले साल सिर्फ धान की फसल उपजाई गई। बन्दोबस्तदारों ने फसल उपजाई। वह फसल अंचल अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा अपने इस्तेमाल में लाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

DUE PENSION.

327. Shri SHUBHNATH DEOGAM: Will the Minister incharge of the Revenue Department be pleased to state—

(1) the names of Divisional Forest Officers, Rangers, Foresters, Felling Overseers and Forest Guards who retired between 1940 and 1954 but have not got pension till June 1955;

(2) date of retirement of each individual;

(3) the reason for not giving each individual any pension?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१), (२) और (३) १९४० और १९५४ के बीच निवृत्त होने वाले प्रमंडल-वन-पदाधिकारियों, रेंजरों, फॉरेस्टरों, फेलिंग ओवरसियरों और वन-रक्षियों के, जिन्हे जून १९५५ तक पेन्शन नहीं मिली है, नामों का विवरण पुस्तकालय की मेज पर रखा है। विवरण में उनके निवृत्त होने की तारीख और हरेक के मामले में देर होने के कारण भी उल्लिखित हैं।

फेलिंग ओवरसियरों की वहाली साल में केवल निश्चित अवधि के लिए ही की जाती है और उनके पद पेन्शनी नहीं हैं। इसलिए सूची में फेलिंग ओवर-सियरो के नाम दर्ज नहीं हैं।